मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2214
09.12.2024 को उत्तर के लिए

झारखंड में प्रदुषण

2214. श्री दुलू महतो:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विशेषकर झारखंड राज्य के धनबाद जिले में भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है;
(ख) उक्त राज्य विशेषकर धनबाद जिले में शहरीकरण और औद्योगिकरण के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को ब्यौरा क्या है;
(ग) वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य पर इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है;
(घ) धनबाद जिले और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों सहित झारखंड राज्य में प्रदूषण को कम करने में कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं प्रभावी हो सकती हैं; और
(ड.) सरकार द्वारा झारखंड राज्य में विशेषकर औद्योगिकीकरण के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.):
झारखंड राज्य में भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए जिला स्तर पर संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण प्रबंधन योजना और जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित मुद्दों की निगरानी और प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर जिला पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गई है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) एक राज्य विनियामक निकाय के रूप में वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित प्रावधानों का संतोषजनक अनुपालन सुनिश्चित करता है।

जेएसपीसीबी ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनसीएपी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशा-निर्देशों के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वर्तमान में राज्य के 3 प्रमुख शहर यथा- रांची, जमशेदपुर और धनबाद एनसीएपी के अंतर्गत लाये जा रहे हैं। इन शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एनसीएपी के तहत किए जा रहे उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है।

<u>रांची :</u>

शहर में स्वच्छ हवा को सुनिश्चित करने हेतु तीन कार्य-स्तरों का पालन किया गया है और इन्हें आगे भी किया जाएगा:

1. बुनियादी अवसंरचना का विकास

- सड़कों को पक्की करना और काली पट्टी बिछाना
- हरित पट्टियों का सृजन करना

2. धूल के पुन: निलंबन पर नियंत्रण

- 04 एंटी-स्मॉग गन का उपयोग करके सड़कों और सार्वजनिक क्षेत्रों पर नियमित छिड़काव करना
- 02 मैकेनिकल स्वीपर मशीनों का उपयोग करके नियमित रूप से सफाई करना
- 02 सुपर सकर मशीन का उपयोग करके नालियों की नियमित सफाई करना
- अनुपालन जाँच और यादृच्छिक ऑडिट के माध्यम से प्रदूषण के बिखरे हुए स्रोतों को नियंत्रित करना

3. नागरिक सहभागिता और जागरूकता:

- सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम
- सार्वजनिक जागरूकता के लिए स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग से शैक्षिक अभियान चलाना।

<u>जमशेदपुर:</u>

एनसीएपी के तहत वायु गुणवत्ता और प्रदूषण कम करने की दिशा में उपलब्धियों का विवरण:-

- शहर की ड्रोन से निगरानी करना ।
- नागरिक जागरूकता और शैक्षिक पहल करना ।
- टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड में स्वस्थ वायु, स्वस्थ ग्रह पर जागरूकता सत्र आयोजित करना।
- विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करना ।
- यूएलबी अधिकारियों की क्षमता का सृजन करना ।
- स्कूली छात्रों के साथ स्रोत पृथक्करण पर सेमिनार आयोजित करना।
- एसएचजी के साथ होम कंपोस्टिंग पर सेमिनार आयोजित करना।
- हरियाली और वनरोपण करना ।
- मैंगो नगर निगम द्वारा हरित क्षेत्र का विकास करना ।
- वायु गुणवत्ता निगरानी करना ।
- मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर।
- वाटर स्प्रिंकलर करना ।
- गीले अपशिष्ट का प्रबंधन।

धनबाद:

क. वायु गुणवत्ता की निगरानी में वृद्धि : धनबाद के अपने वायु गुणवत्ता-निगरानी संबंधी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, पूरे शहर में कार्यनीतिक रूप से स्थापित किए गए निगरानी स्टेशनों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये स्टेशन तात्कालिक रूप से में वायु गुणवत्ता डेटा उत्पन्न करते हैं, जिससे वहां के निवासियों को प्रदूषण के स्तर के बारे में जानकारी रखने में मदद मिलती है। इसके पूरक के रूप में, स्वास्थ्य सलाह नियमित रूप से प्रसारित की जाती है, जिसमें वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय संबंधी स्थिति वाले व्यक्तियों सहित कमजोर आबादी के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।

1. 10 सीएएक्यूएमएस स्टेशन और 5 एलईडी डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना:

क्र.सं.	**स्टेशन का नाम**	**स्थान**
1	लुबी सर्कुलर रोड	गोल्फ ग्राउंड, लुबी सर्कुलर रोड
2	आईटी आईएसएम	आईआईटी आईएसएम कैंपस
3	कोलाकुसमा	विभा भवन, कोलाकुसमा
4	बुद्धा	विभा भवन, भूड़ा
5	चासनाला	विभा भवन, चासनाला
6	मोहलबनी	मोहलबनी समशान घाट
7	बनियाहीर	बनियाहीर, निगम अंचल कार्यालय (झरिया)
8	भागाबांध	सामुदायिक भवन, भागाबांध
9	लिलोरी पार्क	लिलोरी पार्क, कतरास
10	बिरसा मुंडा पार्क	बिरसा मुंडा पार्क

5 एलईडी डिस्प्ले बोर्ड :

क्र.सं.	**स्थान**
1	मेन गेट, डीएमसी कार्यालय
2	बैंक मोड़, धनबाद
3	आईआईटी आईएसएम मुख्य द्वार
4	कतरास मोड़, झरिया
5	बिरसा मुंडा पार्क, नए डीएमसी कार्यालय के पास

ख. खनन से संबंधित प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास : खनन गतिविधियों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए, धनबाद नगर निगम ने कई सक्रिय उपाय किए हैं यथा:-

खनन की सतत प्रक्रियाओं को अपनाना : धनबाद नगर निगम जिले में खनन की सतत प्रक्रियाओं की दिशा में काम कर रहा है। धूल उत्सर्जन को कम करने और पारिस्थितिक क्षरण को कम करने के उद्देश्य से पर्यावरणीय रूप से सतत खनन तकनीकों को अपनाना और लागू करने के प्रयास चल रहे हैं।

खनन पर एक व्यापक अध्ययन:

धनबाद नगर निगम ने एनसीएपी के तहत IOR, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (आईएसएम), अब आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के साथ मिलकर एक व्यापक अध्ययन शुरू किया है, जिसमें निम्न बातों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है यथा-

1. अनुपालन आकलन : खनन कार्यों में वर्तमान अनुपालन-स्तरों का आकलन करना और सुधार के क्षेत्रों का पता लगाना।

2. सतत प्रणालियां: पर्यावरणीय रूप से सतत खनन विधियों के लिए अभिनव और कार्रवाई योग्य सिफारिशें विकसित करना जो पारिस्थितिक और आर्थिक दोनों लक्ष्यों के साथ संरेखित हों।

कड़े अनुपालन उपाय : नगर निगम खनन कार्यों की विनियामक निगरानी को तेज कर रहा है, कड़े पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित कर रहा है। वायु प्रदूषण मानदंडों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा जागरूकता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए खनन इकाइयों और जेएसपीसीबी के साथ नियमित परामर्श और परामर्श बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ग. शहर/यूएलबी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रणालियां :

1. बुनियादी अवसंरचना विकास

- सड़कों को पक्का करना और उन पर काली पट्टी बिछाना
- हरित आवरण बढ़ाने के लिए पूरे शहर में हरित क्षेत्र और ऊर्ध्वाधर उद्यानों का निर्माण
- मोहलबनी और मटकुरिया श्मशान घाटों पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण।

2. धूल के पुनः निलंबन पर नियंत्रण

- 7 वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग करके धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए सड़कों और सार्वजनिक क्षेत्रों पर नियमित छिड़काव करना।
- 8 मैकेनिकल रोड स्वीपर का उपयोग करके सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर धूल के संचय को कम करने के लिए निर्धारित सफाई गतिविधियाँ करना।

3. नागरिक सहभागिता और जागरूकता

- नागरिकों को स्वच्छ वायु के महत्व और स्वच्छ वायु पहल में योगदान देने के लिए उनके द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम "पर्यावरण उत्सव-2024" का आयोजन किया गया,
- ज्ञान को साझा करने और सामूहिक समस्या समाधान के अवसर प्रदान करने के लिए हितधारकों के बीच कार्यशालाओं और सम्मेलनों और सहयोगों का आयोजन किया गया,
- स्वच्छ वायु की दिशा में सामूहिक कार्रवाई को बढ़ाने के लिए स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करना।
- शहर में स्वच्छ वायु की दिशा में मिलकर काम करने के लिए जागरूकता पैदा करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नागरिक स्वयंसेवी कार्यक्रम "वायु मित्र" शुरू किया।
- 7 दिनों में दर्ज की गई वायु गुणवत्ता को दर्शाते हुए साप्ताहिक वायु गुणवत्ता बुलेटिनों का नियमित रूप से जारी करना और उनका प्रसार करना।

धनबाद के खनन क्षेत्र के आसपास वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए बीसीसीएल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

1. पारंपरिक मोबाइल स्प्रिंकलर के अलावा मिस्ट स्प्रिंकलर, फॉग कैनन (ट्रॉली और ट्रक पर लगे) उपलब्ध कराकर साइडिंग और स्थायी परिवहन मार्गों पर छिड़काव व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
2. ड्रिलिंग मशीनें डस्ट कलेक्टर सिस्टम और वाटर इंजेक्शन सिस्टम ड्रिलिंग से सुसज्जित हैं।
3. कोयले का ढका हुआ परिवहन: ढका हुआ परिवहन किया जा रहा है। कोयला परिवहन के सभी अनुबंधों में केवल ढके हुए परिवहन की शर्त है।
4. सड़कों की सफाई: सड़कों की गाद को कम करने के लिए मैनुअल सफाई के साथ-साथ मैकेनिकल स्वीपर भी चालू है।
5. वायु प्रदूषण निगरानी तंत्र को ऑनलाइन पीएम10 विश्लेषकों की स्थापना और एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला मेसर्स सीएमपीडीआई लिमिटेड के माध्यम से नियमित वायु गुणवत्ता निगरानी के साथ मजबूत किया गया है।
6. झरिया कोयला क्षेत्र में आग लगने के कारण जलते कोयले और गर्म ओवरबर्डन परिवहन को ठंडा करने के लिए ओवरहेड स्प्रिंकलर के साथ व्हील वॉशिंग तंत्र प्रदान किया गया है।
7. कोर और बफर जोन के लिए ग्रीन बेल्ट का विकास 1631.53 हेक्टेयर और 51.85 हेक्टेयर बाहरी लीजहोल्ड क्षेत्र (झारखंड के भीतर) में पारिस्थितिकी बहाली/वनीकरण के साथ किया जा रहा है।
8. बीसीसीएल ने वित्त वर्ष 2019-20 में सीएसआईआर-नीरी के माध्यम से स्रोत विभाजन अध्ययन किया और वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि कोयला खनन का झरिया कोलफील्ड्स के लिए पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) के प्रदूषक भार में केवल 6-8% का हिस्सा होता है। जबकि, प्रमुख हिस्सा परिवहन, सड़क पुनर्निलंबन और घरेलू दहन का था।

उठाए जाने वाले/उठाए जा रहे प्रस्तावित कदम:

1. चार मैकेनिकल स्वीपर खरीदे गए हैं और उनकी डिलीवरी/कमीशनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिससे सड़कों की सफाई में और तेजी आएगी।

2. ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन खरीदे गए हैं और उनकी डिलीवरी/कमीशनिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिससे धूल को दबाने की क्षमता बढ़ गई है।

3. कोयला परिवहन के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड और फुटपाथ गुणवत्ता नियंत्रण (पीक्यूसी) सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है, ताकि धूल के उत्सर्जन को कम किया जा सके।

4. मंत्रालय के निर्देशानुसार हर साल एक नियमित प्रक्रिया के रूप में 'ग्रीनबेल्ट' का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही बीसीसीएल ने झारखंड में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत 150 हेक्टेयर में पौधारोपण भी बुक किया है।

5. अच्छी खनन प्रक्रियाओं के तहत कोयला संरक्षण में वृद्धि के साथ ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग से उत्सर्जन को कम करने के लिए हाई वॉल माइनिंग, रिपर डोजर माइनिंग जैसी नई प्रौद्योगिकी खनन को लागू किया जा रहा है।

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के संचयी परिणामों से नागरिकों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिसमें श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों की संवेदनशीलता में कमी का आना भी शामिल है।

धनबाद जिले और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों सहित झारखंड राज्य में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र द्वारा निम्नलिखित वित्तपोषित योजनाओं को वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(i) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी)
(ii) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)
(iii) राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी)।
(iv) नमामि गंगे कार्यक्रम।
(v) प्रदूषण निवारण सहायता (एएपी)।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, झारखंड सरकार ने राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना तैयार की है, जो https://moef.gov.in/uploads/2017/08/Jharkhand.pdf पर सार्वजनिक 'डोमेन' में उपलब्ध है।

*****